



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 232 राँची, शुक्रवार

2 ज्येष्ठ 1936 (श०)

23 मई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

21 मई, 2014

संख्या-13/ न्या० विविध-06/2014 का० 4497-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), राजमहल, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 (ख) (ii) के अन्तर्गत उनपर यह अधिसूचना तामिल होने की तिथि अथवा 31 मई, 2014, जो भी पहले हो, से लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है। उन्हें तीन महीने के पूर्व लिखित सूचना के बदले तीन महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 232-50 ।